



Neutral Citation No. - 2026:AHC:177531

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आदेश से प्रथम अपील संख्या - 1435/2002

द न्यू इण्डिया इंश्योरेंस कं. लि. इलाहाबाद

.....अपीलकर्ता (गण)

बनाम

श्रीमती किरन एवं अन्य

.....प्रतिवादी (गण)

एवं एक अन्य सम्बद्ध वाद

अपीलकर्ता (गण) की ओर से अधिवक्ता : ए.आई. जायसवाल, आदित्य सिंह परिहार, अवनीश मिश्रा, नीरजा सिंह, शार्वे सिंह

प्रतिवादी (गण) की ओर से अधिवक्ता : शार्वे सिंह, ए.आई. जायसवाल, आदित्य सिंह परिहार, अमित श्रीवास्तव, अनीता श्रीवास्तव, के.के. राँय, नीरजा सिंह

न्यायालय संख्या - 54

माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार-X

1- अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री आदित्य सिंह परिहार तथा प्रतिवादीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री शर्वे सिंह उपस्थित हैं।

2- प्रतिवादी संख्या 4 पर तामील पर्याप्त मानी जाती है।

3- वर्तमान अपीलें अपीलार्थीगण द्वारा एम.ए.सी.पी. संख्या 151 सन् 1998 में पारित दिनांक 30.4.2002 के आदेश के विरुद्ध दाखिल की गई हैं। एफ.ए.एफ.ओ. संख्या 1435 सन् 2002 बीमा कंपनी द्वारा दाखिल की गई है, जबकि एफ.ए.एफ.ओ. संख्या 1811 सन् 2017 क्षतिपूर्ति में वृद्धि के लिए दाखिल की गई है। चूंकि दोनों अपीलों में विधि और तथ्य के सामान्य प्रश्न अंतर्वलित हैं, सुविधा की दृष्टि से दोनों का एक साथ विनिश्चय किया जा रहा है।

एफ.ए.एफ.ओ. संख्या 1435 सन् 2002 के तथ्य

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4- संक्षेप में, मृतक कांता प्रसाद, जो संबंधित समय पर सेना में नायक के रूप में सेवारत था, दिनांक 16.12.1997 को लगभग रात्रि 9:20 बजे एक वाहन दुर्घटना में मारा गया, जब उसे संख्या यू.आर.ओ. 0849 वाले एक ट्रक ने टक्कर मार दी। मृतक को रु. 3,978/- प्रतिमाह वेतन प्राप्त हो रहा था और उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक थी। न्यायाधिकरण ने दावा याचिका स्वीकृत की और रु. 10,25,368/- की क्षतिपूर्ति अधिनिर्णीत किया।

5- अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यद्यपि संबंधित समय पर मृतक की आय रु. 3,978/- थी, किंतु दावेदारों के पक्ष में अधिनिर्णीत की जाने वाली क्षतिपूर्ति की राशि निर्धारित करने के लिए उसे दो गुना बढ़ा दिया गया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि आक्षेपित निर्णय में मृतक का मासिक वेतन रु. 3,978/- अभिलिखित किया गया है। तथापि, इसे दो गुना बढ़ाकर रु. 7,956/- निर्धारित किया गया। मृतक के इस दो गुने वेतन के आधार पर रु. 10,25,368/- की क्षतिपूर्ति अधिनिर्णीत की गई। यह तर्क दिया गया कि मृतक की आय का उसके वेतन को दो गुना बढ़ाकर किया गया निर्धारण स्वयं में अवैध और असंधारणीय है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा पारित अधिनिर्णय को संशोधित किया जाना चाहिए और क्षतिपूर्ति का निर्धारण मोटर यान अधिनियम की धारा 163-ए की द्वितीय अनुसूची में उपबंधित मानक मानदंडों के अनुसार किया जाना चाहिए। कथित घटना वर्ष 1997 में हुई थी। अतः यह मानते हुए भी कि उक्त दो गुनी वृद्धि मृतक की आय में भविष्य की संभावनाओं को जोड़ने के उद्देश्य से की गई थी, वही संधारणीय नहीं है। संबंधित समय में प्रवर्तित विधि भविष्य की संभावनाओं के लिए किसी वृद्धि का उपबंध नहीं करती थी। अतः विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा पारित अधिनिर्णय के पुनर्मूल्यांकन और संशोधन की आवश्यकता है।

6- इसके विपरीत, प्रतिवादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि मृतक की आय का निर्धारण करने में न्यायाधिकरण द्वारा कोई अवैधानिकता नहीं की गई थी। भविष्य की संभावनाओं की अवधारणा को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **जनरल मैनेजर, केरल एस.आर.टी.सी. बनाम सुसम्मा थॉमस, 1994 ए.आई.आर. 1631** के निर्णय में मान्यता दी गई थी।

7- पक्षकारों की ओर से विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया और आक्षेपित निर्णय का परिशीलन किया गया।



8- अपीलार्थी द्वारा उठाया गया यह तर्क कि मृतक के मासिक वेतन में दो गुनी वृद्धि अनुचित थी, सारवान है। भले ही भविष्य की संभावनाओं के लिए कोई वृद्धि की जा सकती थी, तथापि वह मासिक वेतन के एक विशेष प्रतिशत से अधिक नहीं होती। तथापि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि दुर्घटना वर्ष 1997 में हुई थी और निर्णय वर्ष 2002 में पारित किया गया था, यह न्यायालय इस मत का है कि केवल मृतक के वेतन के निर्धारण के आधार पर अधिनिर्णय में कोई हस्तक्षेप करना, विशेष रूप से तब जबकि सेना में नायक के रूप में उसकी आय पर्याप्त रूप से सिद्ध थी, उचित नहीं है। तदनुसार, यह न्यायालय अधिनिर्णय का न तो पुनर्मूल्यांकन करना और न ही उसे संशोधित करना उचित पाता है। अतः यह अपील खारिज किए जाने योग्य है।

एफ.ए.एफ.ओ. संख्या 1811 सन् 2017 के तथ्य

9- अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि भविष्य की संभावनाओं के लिए आय को जोड़कर क्षतिपूर्ति अधिनिर्णीत न करने में न्यायाधिकरण ने त्रुटि की है। न्यायाधिकरण ने गैर-आर्थिक मदों के अंतर्गत अपर्याप्त क्षतिपूर्ति प्रदान की है। मृतक की आय में भविष्य की संभावनाओं की वृद्धि, साथ ही **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी एवं अन्य, 2017 लॉसूट (एस.सी.) 1093** में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों के अनुसार गैर-आर्थिक मदों के अंतर्गत पर्याप्त क्षतिपूर्ति, क्षतिपूर्ति में जोड़ी जानी आवश्यक है।

10- पक्षकारों की ओर से विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया। इस न्यायालय की राय में, दावेदारों को अधिनिर्णीत क्षतिपूर्ति पर्याप्त है। न्यायाधिकरण ने क्षतिपूर्ति अधिनिर्णीत करते समय स्वयं एक अत्यंत उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए मृतक के मासिक वेतन को दो गुना बढ़ा दिया। अतः वेतन में उक्त दो गुनी वृद्धि स्वयं यह दर्शाती है कि ऐसी वृद्धि, वास्तव में, मृतक की आय में भविष्य की संभावनाओं के लिए जोड़ी जा सकने वाली राशि से अधिक थी। चूंकि न्यायाधिकरण द्वारा अधिनिर्णीत क्षतिपूर्ति पर्याप्त है और न्यायाधिकरण ने दावेदार के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया था, अतः यह न्यायालय पुनः अधिनिर्णय में हस्तक्षेप करने अथवा अपीलार्थी द्वारा प्रार्थित मदों के अंतर्गत क्षतिपूर्ति जोड़कर उसे संशोधित करने का कोई आधार नहीं पाता है।

11- तदनुसार, आक्षेपित आदेश को पुष्ट किया जाता है और दोनों अपीलें खारिज की जाती हैं।

21 अगस्त, 2026

उज्ज्वल



(न्यायमूर्ति अनिल कुमार-X)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय. का मूल संस्करण ही मान्य होगा।